



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 877]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 18, 2013/चैत्र 28, 1935

No. 877]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 18, 2013/CHAITRA 28, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2013

का.आ. 992(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 झक की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 8 जनवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या 01/2013, फाइल संख्या 178/02/2008-(आई.टी.ए.-I) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उपर्युक्त अधिसूचना में,—

- (क) पैरा 5 में “विकसित किए जा रहे तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे” शब्दों के स्थान पर “विकसित किए जा रहे” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ख) अनुबंध में, मद संख्या 7 विलोपित की जाएगी।

[अधिसूचना सं. 31/2013/फा. सं. 178/02/2008-
आयकर नि.-I]

सुरभि शर्मा, अवर सचिव (आ.क.नि.-I)

टिप्पण.—मूल अधिसूचना, दिनांक 8 जनवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या 01/2013 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2013

S.O. 992(E).—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* Notification number 01/2013, F. No. 178/02/2008-(ITA-I) dated the 8th January, 2013, namely :—

2. In the said notification,—

- (a) in para 5, for the words “being developed and being maintained and operated”, the words “being developed” shall be substituted.
- (b) In the Annexure, item number 7 shall be omitted.

[Notification No. 31/2013/F. No. 178/02/2008-ITA-I]

SURABHI SHARMA, Under Secy. (ITA-I)

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification No. 01/2013 dated the 8th January, 2013.